न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 48/2017 49/ 2017, 50/2017, 51/ 2017, 52/2017, 53/2017 जिला दौसा ।

1. रामफूलपुत्र मोहरपाल
2. मूलचन्द पुत्र मोहरपाल
3. हरफूल पुत्र मोहरपाल

समस्त जाति मीना, निवासी लाहडी का बास, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

4. श्रीमति नारायणी पुत्री मोहरपाल पत्नि स्व. गोपी जाति मीना , निवासी सूरजपुर (खादरिया) तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।
5. श्रीमति लाली पुत्री मोहरपाल पत्नि जगदीश जाति मीना, निवासी खेडा थूमडी, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. कन्हैया लाल पुत्र भैंरूबक्स
2. रामल्या पुत्र भैरूबक्स
3. श्रीमति उगन्ती उर्फ उगली पत्नि स्व. तेजा
4. पप्पूराम पुत्र तेजा
5. गोपाल पुत्र तेजा
6. रामकेश पुत्र तेजा
7. रामसहाय पुत्र रामपाल
8. गेंदा पुत्र रामपाल

समस्त जाति मीना, निवासी लाहडी का बास, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

9. राज. सरकार द्वारा तहसीलदार, तहसील लालसोट वर्तमान तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपीलें विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 9.6.2017 बाबत नामांतरकरण संख्या 64, 65, 66, 67, 68, 69 ग्राम लाहडी का बास, तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 19.4.1978 को स्वीकृत किये हैं ।

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक/ श्री उमेश गौड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री राजकुमार शर्मा

निर्णय

दिनांक 4.12.2018

यह अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 9.6.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 22.8.2017 को प्रस्तुत हुई है । अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु

समान होने के कारण इन अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति सभी पत्रावलियों में रखी जावे । उपरोक्त प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम लाहडी का बास, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 16 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 38 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 39 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 40/1 रकबा 62 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 40/2 रकबा 60 बीघा 9 बिस्वा , कुल किता 5 कुल रकबा 142 बीघा के खातेदार रामसहाय, तेजा, कन्हैया पुत्र भैंरूबक्श हिस्सा 1/3, रामसहाय, गैंदा पुत्र रामपाल हिस्सा 1/3 व मोहर पाल पुत्र नानगा हिस्सा 1/3 है जिसका प्रमाण यह है कि नामांतरकरण संख्या 64, 65, 66, 67, 68, 69 ग्रम लाहडी का बास के कॉलम संख्या 5 में अपीलान्ट संख्या 1 से 5 के पिता मोहरपाल का 1/3 हिस्से की खातेदारी, रेस्पोंडेन्ट 7 व 8 रामसहाय व गैंदा पुत्र रामपाल का हिस्सा 1/3 की खातेदारी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 2 कन्हैया लाल, रामल्या व रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 उगन्ती के पति, रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 से 6 पप्पूराम, गोपाल, रामकेश के पिता तेजा पुत्र भैरूबक्श की 1/3 हिस्से की खातेदारी अंकित है । कुल भूमि 142 बीघा के तीन भाग करने पर अपीलान्ट्स को लगभग 47 बीघा 7 बिस्वा भूमि मिलनी चाहिये, परन्तु अपीलान्ट्स के पिता को नामांतरकरण संख्या 69 द्वारा केवल 20 बीघा 12 बिस्वा भूमि ही दी गई है । इस प्रकार अपीलान्ट्स के पिता मौहरपाल को लगभग 26–27 बीघा भूमि कम दी गई है तथा नामांतरकरण संख्या 64 द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 रामल्या को 27 बीघा 4 बिस्वा भूमि दे दी गई । नामांतरकरण संख्या 65 द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 के पति एवं 4 से 6 के पिता तेजा को 26 बीघा 12 बिस्वा भूमि दी गई है और नामांतरकरण संख्या 66 द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कन्हैया लाल को 26 बीघा 8 बिस्वा भूमि दी गई है , जबकि रामल्या, तेजा व कन्हैया तीनों ही मिलकर लगभग 47 बीघा 3 बिस्वा भूमि पाने के हकदार है , लेकिन तीनों को मिलकर 80 बीघा 4 बिस्वा भूमि दी गई है । इस प्रकार रामल्या, तेजा व कन्हैया लाल पुत्रान भैरूबक्श को 33 बीघा 4 बिस्वा भूमि अधिक दी गई है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 व 8 रामसहाय व गैंदा को लगभग 47 बीघा 3 बिस्वा भूमि मिलनी चाहिये थी जबकि उन्हें 41 बीघा 4 बिस्वा भूमि दी गई है । इस प्रकार रामसहाय व गैंदा पुत्रान रामपाल को 5–6 बीघा भूमि कम दी गई है । तहसीलदार ने तथाकथित तकासमा व नामांतरकरण गलत व अवैध रूप से किया जाना व्यक्त करते हुये अपीलान्ट्स के पिता मोहरपाल द्वारा ग्रम लाहडी का बास के नामांतरकरण संख्या 64, 65, 66, 67, 68, 69 दिनांक 19.4.1978 को निरस्त किये जाने एवं खसरा नम्बर खसरा नम्बर 16, 38 , 39 , 40/1 , 40/2 , कुल किता 5 कुल रकबा 142 बीघा की पूर्ववत संयुक्त खातेदारी का इन्द्राज रामल्या, कन्हैया, तेजा पिसरान भैरूबक्श हिस्सा 1/3, रामसहाय, गैंदा पिसरान रामपाल हिस्सा 1/3 , मोहर पाल पुत्र नानगा हिस्सा 1/3 जाति मीणा साकिन देह अंकित करने के आदेश पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा के समक्ष अपीलें पेश की थी, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.6.2017 से अपीलान्ट द्वारा ग्रम लाहडी का बास के नामांतरकरण संख्या 64, 65, 66, 67, 68, 69 दिनांक 19.4.1978 को निरस्त किये जाने हेतु अपील दिनांक 26.11.2014 को प्रस्तुत किये जाने व इतनी लम्बी अवधि पश्चात् अपीलें पस्तुत किये जाने का संतोषजनक कारण भी नहीं बताया

गया है । नामांतरकरणों में अंकित आराजी से संबंधित तकासमा की अपील पृथक से विचाराधीन होना भी अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित नहीं मानते हुये अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया गया एवं जिसके प्रभाव में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपीलें भी खारिज की गई है ।

अति. जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.6.2017 के खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपीलें मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 9.6.2017 एवं तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित नामांतरकरण आदेश दिनांक 19.4.1978 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम लाहडी का बास स्थिति आराजी खसरा नम्बर 16, 38, 39, 40/1 व 40/2 कुल किता 5 कुल रकबा 142 बीघा खातेदार भैरूबक्स पुत्र पांच्या हिस्सा 1/3 रामसहाय, गैंदा पि. रामपाल हिस्सा 1/3 व मोहर पाल पुत्र नानगा हिस्सा 1/3 की संयुक्त खातेदारी की थी । उनका कहना था कि विवादित आराजी 142 बीघा में अपीलान्ट्स के पिता मोहरपाल का हिस्सा 1/3 में मात्र 20 बीघा 17 बिस्वा भूमि विभाजन स्वरूप बताकर नामांतरकरण संख्या 69 दिनांक 19.4.78 को तस्दीक किया है जबकि अपीलान्ट्स के पिता मोहरपाल के नाम 1/3 हिस्से के अनुसार 40 बीघा 13 बिस्वा भूमि होनी चाहिये थी, लेकिन मोहरपाल के हिस्से की 20 बीघा 5 बिस्वा भूमि अन्य सहखातेदारान के नाम बिना उद्घोषणा या विभाजन मात्र नामांतरकरण से तहसीलदार द्वारा करदी गई, जो अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है । पक्षकारान के बीच कभी कोई राजीनामा सहमति नहीं हुआ और न ही अपीलान्ट्स के पिता मोहरपाल की 1/3 हिस्से की भूमि के संबंध में मोहरपाल द्वारा कभी किसी अधिकारी या न्यायालय में सहमति नहीं दी गई तथा न ही किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा विभाजन का कोई आदेश या डिक्री पारित की गई । तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का को आदेश कर आपसी सहमति से भूमि विभाजन बताकर प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किये हैं, जो क्षेत्राधिकारविहीन एवं प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध हैं , जिन्हें चुनौती देने के लिये कोइ समय सीमा बाधक नहीं है । उनका कहना था कि मोहरपाल अनपढ, अशिक्षित , ग्रमीण परिवेश का व्यक्ति था जिसने न तो किसी विभाजन पर सहमति दी न ही प्रश्नगत नामांतरकरण आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार ने मोहरपाल को कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया । न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के अनुसार संबंधित व्यक्ति की पीठ पीछे पारित आदेश अवैध एवं प्रभावशून्य है । मोहरपाल अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर काश्त कर लाभान्वित होता रहा है तथा मोहरपाल की मृत्यु के बाद अपीलान्ट्स काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के गुणावगुण व न्यायिक उद्धरणों को नजरन्दाज करते हुये एवं अपने न्यायिक दायित्व का

न्यायसंगत निर्वहन नहीं कर अपीलान्ट्स की अपीलें मात्र मियाद के बिन्दु पर खारिज कर तहसीलदार के अवैध व अनाधिकृत, अनियमित व क्षेत्राधिकारविहीन आदेश की पुष्टि कर अपने न्यायिक दायित्व का न्याय संगत निर्वहन नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 9.6.2017 एवं तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक नामांतरकरण आदेश दिनांक 19.4.1978 निरस्त किये जावे । अपने कथनों के समर्थन में 2018(1) आर.आर.टी. 601, 2011 (1) आर.आर.टी. पेज 602, 2010 (1) आर.आर.टी. पेज 509, 2008 (2) आर.आर.टी. पेज 1183, 2007 (2) आर.आर.टी. पेज 745, 2006 (1) आर.आर.टी. पेज 385, 2006 (2) आर.आर.टी. 1112 एवं 2004 (1) आर.आर.टी. पेज 374 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपीलों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 के संबंध में प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपीलें लगभग 37 वर्ष के लम्बे अन्तराल के बाद प्रस्तुत की थी । अपीलों में गलत तरीके से वंशावली प्रस्तुत की है । पूर्व में खातेदारी संवत 2003 से 2022 की खतौनी के अनुसार वादग्रस्त आराजी पांच्या वल्द उदा व रामपाल वल्द पेमा के नाम दर्ज थी । एकीकरण की कार्यवाही से पूर्व गलत तरीके से उक्त वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट मोहरपाल पुत्र नानगा का नाम जोडकर तथा रामपाल के वारिसान रामसहाय व गैंदा का नाम पांच्या के वारिस भैरूबक्श के नाम इन्द्राज किया जाकर खातेदारी गलत तरीके से 1/3 – 1/3 हिस्से अनुसार दर्ज कर दिया गया , जबकि पूर्व में उक्त खातेदारी भूमि पांच्या वल्द उदा व रामपाल पुत्र पेमा के नाम बराबर हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था । इसी कदर पक्षकारान के बजमाने बुजुर्गान से कब्जा है जिसके अनुसार खातेदार भैरूबक्श पुत्र पांच्या के नाम 1/2 दर्ज की जानी चाहिये थी । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 37 वर्ष पश्चात् पेश की गई थी जबकि अपीलान्ट को नामांतरकरण की प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी रही है तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं बताया गया था । उनका कहना था कि समावधि संबंधी प्रावधान भी विधि के महत्वपूर्ण प्रावधान है जिनकी पालना किया जाना न्यायालय के लिये आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्स की अपीलें अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.6.2017 द्वारा अपीलान्ट्स द्वारा नामांतरकरणों के विरूद्ध इतनी लम्बी अवधि पश्चात् अपीलें प्रस्तुत किये जाने का संतोषजनक कारण भी नहीं बताये जाने तथा विवादित आराजी से संबंधित तकासमा अपील पृथक से विचाराधीन होने की स्थिति में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित नहीं मानते हुये अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाकर अपील अपीलान्ट्स खारिज की है । उनका कहना था कि पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के तकासमे का प्रकरण न्यायालय अति. कलक्टर दौसा के समक्ष विचाराधीन है जिसमें पक्षकारों की भूमि का बंटवारा होना है और तकासमें के प्रकरण के निस्तारण के आधार पर नामांतरकरण की कार्यवाही हो जावेगी । ऐसी स्थिति में नामांतरकरण की इन अपीलों में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता क्योंकि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रकिया है । अतः अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर

चित्रा!!
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दौसा दिनांक 9.6.2017 उचित एवं विधिसम्यक होने से उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारान के मध्य विवाद विवादित भूमि रकबा 142 बीघा के बंटवारे के तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरणों के संबंध में है । नामांतरकरण संख्या 64, 65, 66, 67, 68, 69 ग्राम लाहडी का बास के कॉलम संख्या 5 मे अपीलान्ट संख्या 1 से 5 के पिता मोहरपाल का 1/3 हिस्सा, रेस्पोंडेन्ट 7 व 8 रामसहाय व गैंदा पुत्र रामपाल का हिस्सा 1/3 व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 2 कन्हैया लाल, रामल्या व रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 उगन्ती के पति, रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 से 6 पप्पूराम, गोपाल, रामकेश के पिता तेजा पुत्र भैरूबक्श का 1/3 हिस्सा अंकित है ।

विवादित कुल भूमि 142 बीघा के तीन भाग करने पर अपीलान्ट्स को लगभग 47 बीघा 7 बिस्वा भूमि मिलनी चाहिये, परन्तु अपीलान्ट्स के पिता को नामांतरकरण संख्या 69 द्वारा केवल 20 बीघा 12 बिस्वा भूमि ही दी गई है । इस प्रकार अपीलान्ट्स के पिता मौहरपाल को लगभग 26–27 बीघा भूमि कम दी गई है तथा नामांतरकरण संख्या 64 द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 रामल्या को 27 बीघा 4 बिस्वा भूमि दे दी गई । नामांतरकरण संख्या 65 द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 के पति एवं 4 से 6 के पिता तेजा को 26 बीघा 12 बिस्वा भूमि दी गई है और नामांतरकरण संख्या 66 द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कन्हैया लाल को 26 बीघा 8 बिस्वा भूमि दी गई है, जबकि रामल्या, तेजा व कन्हैया तीनों ही मिलकर लगभग 47 बीघा 3 बिस्वा भूमि पाने के हकदार है, लेकिन तीनों को मिलकर 80 बीघा 4 बिस्वा भूमि दी गई है । इस प्रकार रामल्या, तेजा व कन्हैया लाल पुत्रान भैरूबक्श को लगभग 33 बीघा भूमि अधिक दी गई है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 व 8 रामसहाय व गैंदा को लगभग 47 बीघा 3 बिस्वा भूमि मिलनी चाहिये थी जबकि उन्हें 41 बीघा 4 बिस्वा भूमि दी गई है । इस प्रकार रामसहाय व गैंदा पुत्रान रामपाल को 5–6 बीघा भूमि कम दी गई है । तहसीलदार ने तथाकथित तकासमा व नामांतरकरण गलत व अवैध रूप से किया जाना व्यक्त करते हुये अपीलान्ट्स के पिता मोहरपाल द्वारा ग्राम लाहडी का बास के नामांतरकरण संख्या 64, 65, 66, 67, 68, 69 दिनांक 19.4.1978 को निरस्त किये जाने एवं खसरा नम्बर खसरा नम्बर 16, 38 , 39 , 40/1 , 40/2 , कुल किता 5 कुल रकबा 142 बीघा की पूर्ववत संयुक्त खातेदारी का इन्द्राज रामल्या, कन्हैया, तेजा पिसरान भैरूबक्श हिस्सा 1/3, रामसहाय, गैंदा पिसरान रामपाल हिस्सा 1/3 , मोहर पाल पुत्र नानगा हिस्सा 1/3 जाति मीणा साकिन देह अंकित करने के आदेश पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा के समक्ष अपीलें पेश की थी, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.6.2017 से अपीलान्ट द्वारा ग्राम लाहडी का बास के नामांतरकरण संख्या 64, 65, 66, 67, 68, 69 दिनांक 19.4.1978 को निरस्त किये जाने हेतु अपील दिनांक 26.11.2014 को प्रस्तुत किये व इतनी लम्बी अवधि पश्चात् अपीलें पस्तुत किये जाने का संतोषजनक कारण भी नहीं बताया गया है । नामांतरकरणों में अंकित आराजी से संबंधित तकासमा की अपील पृथक से विचाराधीन होना भी अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित नहीं

मानते हुये अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया गया एवं जिसके प्रभाव में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपीलें भी खारिज की गई है ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता की मुख्य आपत्ति है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर अपीलें लगभग 37 वर्ष के लम्बे अन्तराल के बाद प्रस्तुत की थी। पूर्व में खातेदारी संवत 2003 से 2022 की खतौनी के अनुसार वादग्रस्त आराजी पांच्या वल्द उदा व रामपाल वल्द पेमा के नाम दर्ज थी । एकीकरण की कार्यवाही से पूर्व गलत तरीके से उक्त वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट मोहरपाल पुत्र नानगा का नाम जोडकर तथा रामपाल के वारिसान रामसहाय व गैंदा का नाम पांच्या के वारिस भैरूबक्श के नाम इन्द्राज किया जाकर खातेदारी गलत तरीके से 1/3 – 1/3 हिस्से अनुसार दर्ज कर दिया गया , जबकि पूर्व में उक्त खातेदारी भूमि पांच्या वल्द उदा व रामपाल पुत्र पेमा के नाम बराबर हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 37 वर्ष पश्चात् पेश की गई थी जबकि अपीलान्ट को नामांतरकरण की प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी रही है तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं बताया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्स की अपीलें अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.6.2017 द्वारा अपीलान्ट्स द्वारा नामांतरकरणों के विरूद्ध इतनी लम्बी अवधि पश्चात् अपीलें प्रस्तुत किये जाने का संतोषजनक कारण भी नहीं बताये जाने तथा विवादित आराजी से संबंधित तकासमा अपील पृथक से विचाराधीन होने की स्थिति में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित नहीं मानते हुये अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाकर अपील अपीलान्ट्स खारिज की है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के प्रश्नगत नामांतरकरण तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 19.6.1978 को बिना न्यायालय के तकासमा आदेश के , खातेदारों को बिना नोटिस दिये व उनकी बिना सहमति के तथा खातेदारों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना तस्दीक किये गये हैं । प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ मोहरपाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पृथक पृथक अपीलें मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 26.11.2014 को प्रस्तुत की थी तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कारण नामांतरकरण अपीलान्ट की अनुपस्थिति में किये जाने , अपीलांट अनपढ, ग्रमीण , अंगठा छाप वृद्ध कृषक होने एवं अक्सर बीमार रहने से व नामांतरकरण से पूर्व उसे कोई नोटिस नहीं देने से नामांतरकरण का ज्ञान उसे समय पर नहीं हो सका था तथा अपीलान्ट के पुत्र रामफूल ने दिनांक 27.10.2014 को नामांतरकरण की नकल निकलवाकर अपीलान्ट को बताये जाने पर सर्वप्रथम जानकारी होना अंकित किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलधीन आदेश दिनांक 9.6.2017 से नामांतरकरणों के विरूद्ध इतनी लम्बी अवधि पश्चात् अपील प्रस्तुत किये जाने का संतोषजनक कारण भी नहीं बताये जाने के आधार पर प्रकरण के गुणावगुण पर अभिमत व्यक्त किये बिना ही केवल मियाद के बिन्दु पर खारिज की है । हम समझते हैं कि नामांतरकरण संख्या 64, 65, 66, 67, 68, 69 ग्रम लाहडी का बास के कॉलम संख्या 5 में अपीलान्ट संख्या 1 से 5 के पिता मोहरपाल का 1/3 हिस्से की खातेदारी, रेस्पोंडेन्ट 7 व 8 रामसहाय व गैंदा पुत्र रामपाल का

हिस्सा 1/3 की खातेदारी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 2 कन्हैया लाल, रामल्या व रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 उगन्ती के पति, रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 से 6 पप्पूराम, गोपाल, रामकेश के पिता तेजा पुत्र भैरूबक्श की 1/3 हिस्से की खातेदारी अंकित है । ऐसी स्थिति में हितबद्ध व्यक्तियों को बिना सुने व बिना नोटिस दिये तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किये हैं जिससे अपीलान्ट्स के हित महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुये हैं। किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को सुने बिना , उसके अधिकारों के प्रतिकूल तथा उसके अधिकारों को प्रभावित करने वाला निर्णय न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं शुन्य है तथा ऐसे निर्णय को चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा बाधित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को नजरन्दाज करते हुये अपीलों को केवल मियाद बाहर होने के बिन्दु पर खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः प्रकरण के गुणावगुण एवं तथ्यों तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूप अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षमा किया जाता है । हम समझते हैं कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा को उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण पर विश्लेषण कर अपना अभिमत व्यक्त करते हुये विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 9.6.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण पर विश्लेषण कर अपना अभिमत व्यक्त करते हुये विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर